अव्यवस्था | क्लब में देर रात तक बजता है डीजे

टैगोर कॉलोनी में रहना दुश्वार, सड़कों पर बह रही गंदगी

जबलपुर, नवभारत। सतपुड़ा रेलवे क्लब सामने तो काफी भव्य व चमकदार नजर आता है, लेकिन इसके पीछे का चेहरा काफी गंदा व बदबूदार है यहां होने वाली शादी-पार्टी का बचा खाना पीछे नालियों व सड़कों में बहाया जाता है, जिससे यहां स्थित टैगोर रेल कॉलोनी के वाशिंदे बदबू व गंदगी से लगातार परेशान हैं इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है उल्लेखनीय है कि रेलवे का सतपुड़ा क्लब शहर के प्रतिष्ठित क्लबों में शुमार है यहां की बुकिंग कराना भी काफी महंगा है जिसका कारण इस क्लब की भव्यता व आकर्षक होना माना जाता है, किंतु इसके पीछे का भी एक गंदा चेहरा है जो इस क्लब के आसपास रहने वाले रेल कर्मचारी ही समझ रहे हैं।

नालियों में जा रहा अनाज

बताया जाता है कि शादी-पार्टी के बाद बर्तनों की साफ-सफाई व जो जूठन बचता है वहां के कर्मचारी उसे नाली में बहा देते हैं, जो ओवरफ्लो होकर कालोनी की सड़कों में बह रहा है व सड़ांध मार रहा है, जिससे लोगों का यहां रहना दूभर होता जा रहा है क्षेत्रीय रेल कर्मचारियों का कहना है कि वे इस कालोनी में रहकर परेशान हो चुके हैं गंदगी, बदबू के साथ-साथ देर रात तक क्लब में बजने वाले डीजे ने सोना, खाना तक हराम करके रखा हुआ है बच्चों की पढ़ाई तक मुश्किल हो चुकी है इस क्लब में प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा आयोजन किया जाता है, जिसका विरोध भी छोटे कर्मचारी नहीं कर पा रहे हैं।

प्रशासन के सामने जोड़े हाथ

टैगोर कालोनी के नागरिकों का रेल प्रशासन से यही आग्रह है कि शादी-पार्टी की जूठन को नाली में नहीं फेंका जाये, इससे सड़ांध व दुर्गंध पैदा हो रही है, जो संक्रामक बीमारियों का बड़ा कारण बन रही है वहीं नियमानुसार डीजे को रात 10 बजे तक बंद कराया जाये, ताकी बच्चे सुकून के साथ अपनी पढ़ाई कर सकें, वहीं रात भर रेल ड्यूटी करके आने वाले कर्मचारी भी चैन की नींद सो सके।

चार्जशीट की वैधता की जांच कर पेश करें रिपोर्ट : हाईकोर्ट

लोकायुक्त डीजी हुए हाजिर अगली सुनवाई पांच मार्च को

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस राजेंद्र कुमार वाणी की युगलपीठ ने एक मामले में चार्जशीट की वैद्यता की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व निर्देश के पालन में विशेष स्थापना पुलिस लोकायुक्त के डीजी योगेश देशमुख न्यायालय में हाजिर हुए। उन्होंने माना कि जो ओरिजिनल फाइल पेश की गई थी, वह ठीक से पेश नहीं की गई थी। वे चार्जशीट की वैलिडिटी की जांच करने का जिम्मा लेते हैं और पंद्रह दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। यह रिपोर्ट 27 फरवरी को या उससे पहले फाइल की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई पांच मार्च को होगी। तब तक ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स को फिर से सील करके फाइल के साथ रजिस्ट्रार जनरल की सेफ कस्टडी में रखा जाएगा।

दरअसल अपीलकर्ता भोपाल निवासी नागरिक आपूर्ति विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी दिनेश चौरसिया की ओर से अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि लोकायुक्त ने उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला पंजीबद्ध किया था। पहले अर्जित संपत्ति 10 प्रतिशत से कम पाने पर ट्रायल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई। लेकिन आगे चलकर अर्जित संपत्ति कलेक्टर दर से पुनर्मूल्यांकन कर 13 प्रतिशत के ऊपर दर्शित करते हुए ट्रायल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट वापस लेने का आवेदन कर दिया। यह रवैया अनुचित होने के कारण हाईकोर्ट में अपील दायर की गई।

हाईकोर्ट में यूनिपोल को लेकर अर्जी दायर

मप्र हाई कोर्ट में यूपिपोल लगाने में अनियमित्ता का आरोप लगाते हुए एक अर्जी दायर की गई है। आवेदनकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे व समाजसेवी रजत भार्गव की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय पैरवी करेंगे। उन्होंने अगवत कराया कि आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के प्रविधानों का घोर उल्लंघन कर शास्त्री ब्रिज, सदर बाजार, गोहलपुर ब्रिज, रानीताल चौराहा आदि क्षेत्रों में खतरनाक लोकेशन पर यूनिपोल लगाने से यह स्पष्ट हो गया है कि अधिकारियों व यूनिपोल-होडिंग एजेंसियों में भारी सांठगांठ है। वे भ्रष्टाचार कर निर्दोष लोगों के जिन्दगी के साथ खेल रहे है। जिस कारण इस अनियमितता पर रोक लगाई जानी चाहिए। दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2024 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर बताया था कि आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियमों का पालन सख्ती से होना चाहिए। यूनिपोल के कारण एक मृत्यु होने के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की है। हाईकोर्ट में यह याचिका अभी लंबित है। शास्त्री ब्रिज पर 70 फीट ऊंचा लगा हुआ यूनिपोल लोगों के जिन्दगी के लिए खतरनाक है, उसमें रेल्वे नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। रानीताल चौराहे तथा गोहलपुर पुल पर जनसुरक्षा की अनदेखी कर यूनिपोल लगे है। ऐसे डेंजर लोकेशन के यूनिपाल हटाए जाएं। नियमों के उल्लंघन पर सख्ती से रोका जाए।

हिरन नदी घाट से रेत का अवैध उत्खनन

बिना रायल्टी दो ट्रैक्टर ट्राली से ढुल रही रेत पकड़ाई

जबलपुर। हिरन नदी घाट से रेत का अवैध उत्खनन कर बिना रायल्टी दो ट्रैक्टर ट्राली से ढुल रही रेत मझगांव पुलिस ने पकड़ी। इसके साथ ही रेत के अवैध परिवहन में 2 ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार किया।

मझगवां थाना प्रभारी हरदयाल सिंह ने बताया कि जौली मोड़ के पास खितौला खम्परिया की ओर से आ रहे ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 20 ए बी 6240 एवं ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 20 जेड एच 1753 को पकड़ा गया। जिनमें ट्राली लगी हुयी थीं ट्राली में रेत भरी हुई थी। चालक मानशु दाहिया 19 वर्ष धुप कपूर कोल 20 वर्ष दोनों निवासी ग्राम सुनार खेड़ा थाना ढीमरखेड़ा जिला कटनी से ट्राली में भरी रेत के संबंध में पूछताछ करने पर रायल्टी एवं दस्तावेज नहीं होना बताते हुये ग्राम भंडरा हिरन नदी घाट से रेत उत्खन्न कर मझगवा ले जाना बताये। दोनों चालकों के खिलाफ खनिज अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के तहत कार्यवाही की गई।

फर्नीचर कारोबारी हत्याकांड : पुलिस गिरफ्त में आरोपी

आज खुलासे की तैयारी में रांझी पुलिस

नवभारत, जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत लक्ष्मी मंदिर मेन रोड गोकलपुर में रविवार देर रात्रि कार-बाइक में एक्सीडेंट के बाद चाकुओं से गोदकर हुई फर्नीचर कारोबारी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। सीसीटीव्ही कैमरे एवं मौके पर मिली आरोपी की बाइक के नंबर के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई है। साथ ही कुछ आरोपियों को दबोच लिया है जबकि कुछ फरार चल रहे है। जिनकी तलाश जारी है। आज पूरे मामले का पुलिस खुलासा करने की तैयारी में है। विदित हो कि एकांश साहू पिता सुरेश साहू 34 वर्ष निवासी सब्जी मंडी अधारताल का फर्नीचर कारोबारी था। रविवार रात्रि वे अपने दोस्त मोहित के साथ क्रेटा कार से घर लौट रहा था। रात्रि करीब 11:30 बजे लक्ष्मी मंदिर मेन रोड गोकलपुर में एकांश साहू की गाड़ी का एक्सीडेंट एक मोटर सायकिल से हो गया था। इसके बाद बाइक चालक और कार चालक के बीच विवाद कहासुनी हुई। जिसके बाद बाइक सवार युवकों ने फोन करके अज्ञात लड़कों को बुला लिया था और एक्सीडेंट की बात को लेकर एकांश पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए थे। हमले में एकांश को सीने, पेट में गंभीर चोटें आ गई जिससे उसकी मौत हो गई थी। आरोपी एक्सीडेंट वाली मोटर सायकल क्रमांक एमपी 20 के एम 0511 को वहीं पर छोड़ भाग गए थे। पुलिस ने सीसीटीव्ही फुटेज और बाइक नंबर के जरिए आठ आरोपियों को चिन्हित किया। कुछ को हिरासत में ले लिया गया है जबकि कुछ अब भी फरार है जिनकी तलाश जारी है। आज पुलिस पूरे मामले का खुलासा करने की तैयारी में है।

महाशिवरात्रि पर कानून व्यवस्था बनाये रखने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तैनात

नवभारत, जबलपुर। महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए जिले के प्रमुख मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों पर शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने जिला प्रशासन द्वारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है। इस बारे में जारी आदेश के अनुसार भर्तीपुर गुरंदी स्थित शिव पार्वती मंदिर में एसडीएम रांझी मोनिका बाघमारे, पाटबाबा मंदिर में तहसीलदार रांझी सुश्री जानकी उइके, कैलाशधाम मटामर में एसडीएम जबलपुर अभिषेक सिंह ठाकुर, शिव मंदिर कचनार सिटी में एसडीएम अधारताल पंकज मिश्रा, गुप्?तेश ?वर महादेव मंदिर में एसडीएम गोरखपुर अनुराग सिंह, ग्वारीघाट में प्रभारी तहसीलदार गोरखपुर भरत कुमार सोनी, भेड़ाघाट में अतिरिक्त तहसीलदार गोरखपुर आदित्य जंघेला तथा तिलवाराघाट में नायब तहसीलदार गोरखपुर प्रजीत बंसोड़ को शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तैनात किया गया है।

ट्रेक मेंटेनर्स के कैडर परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेल के कोटा, भोपाल, जबलपुर मंडलों में कार्यरत महिला ट्रेक मेन्टेनर्स को बड़ी सौगात मिलने वाली है। संघ प्रवक्ता सतीश कुमार ने बताया कि महिला ट्रेकमेन्टेनर्स कर्मचारियों के उनके कार्यस्थल अर्थात रेल ट्रेक पर अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें मूलभूत सुविधाएं यथा शौचालय, चेंजिंग रूम, रेस्ट रूम, पीने का पानी आदि की भी सुविधाएं मुहैया नहीं हैं उक्त पीड़ा को वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री अशोक शर्मा ने पश्चिम मध्य रेल महाप्रबंधक शोभना बंधोपाध्याय के समक्ष पत्राचार, व्यक्तिगत वार्ता कर महिला ट्रेक मेन्टेनर्स के कैडर परिवर्तन का रास्ता साफ कर दिया है। महाप्रबंधक महोदय के निर्देश पर कार्मिक विभाग मुख्यालय द्वारा तीनो मंडलों से कैडर परिवर्तन की कार्यवाही करने को कहा गया है।

वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ के अथक प्रयासों से पूर्व में भी वर्ष 2020 में महिला ट्रेक मेन्टेनर्स का अन्य विभागों में कैडर परिवर्तन किया गया था। उक्त सफलता पर संघ के मंडल अध्यक्ष एस.एन. शुक्ला, मंडल सचिव डी.पी. अग्रवाल, संयुक्त महामंत्री संदीप श्रोती, सतीश कुमार, महिला उपाध्यक्ष सविता त्रिपाठी, हर्ष वर्मा, रोशन यादव, संतोष त्रिवेणी, संजय चौधरी, आर.ए.सिंह, योगेन्द्र सिंह, भूपत सिंह, अनिकेत कुमार, सुधीर कुमार, दुर्गा तिवारी, श्यामकला श्रीवास्तव, डॉली सक्सेना आदि ने हर्ष व्यक्त करते हुए आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का तोहफा बताया है।

ईओडब्ल्यू के 10 साल पुराने मामले में सरपंच व सचिव को जमानत

50-50 हजार के मुचलके पर रिहाई, गिरफ्तारी वारंट निरस्त

नवभारत,जबलपुर। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) भोपाल द्वारा दर्ज वर्ष 2015 के कथित वित्तीय अनियमितता प्रकरण में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जबलपुर मनीष सिंह ठाकुर की अदालत ने ग्राम पंचायत मोहास के तत्कालीन सरपंच गौरीशंकर पटेल और सचिव दीपा चतुर्वेदी सहित अन्य आरोपियों को नियमित जमानत प्रदान की है। अदालत ने गौरीशंकर पटेल, दीपा चतुर्वेदी, शेख मोहम्मद मेहबूब खान, संतोष कुमार असाटी और प्रशांत शर्मा को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 483 के तहत 50-50 हजार रुपये की जमानत और समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। सहआरोपी सुनील कुमार रोहित को पूर्व में ही जमानत मिल चुकी थी। मामला ग्राम पंचायत मोहास के अंतर्गत बघोरी में खेल मैदान समतलीकरण कार्य में कथित रूप से फर्जी बिलों के आधार पर 1,56,704 रुपये के भुगतान से संबंधित है। आरोपियों के विरुद्ध भादंवि की धाराएं 420, 467, 468, 471, 120-बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अभिषेक पटेल ने सरपंच गौरीशंकर पटेल और सचिव दीपा चतुर्वेदी की ओर से पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि प्रकरण में वर्ष 2015 से अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जांच पूर्ण होकर 23 दिसंबर 2025 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और सभी दस्तावेज जब्त हैं, जिससे साक्ष्य प्रभावित होने की आशंका नहीं है। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के प्रासंगिक निर्णयों का उल्लेख करते हुए माना कि केवल अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के आधार पर गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। इसी आधार पर सभी आरोपियों को शर्तों सहित जमानत दी गई तथा गौरीशंकर पटेल के विरुद्ध पूर्व में जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त कर दिया गया। प्रकरण को अब आरोप पूर्व तर्क के लिए 27 फरवरी 2026 को नियत किया गया

घर में घुसा पांच फीट लंबा कोबरा

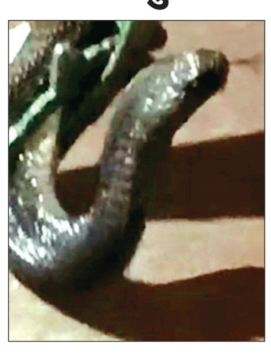

जबलपुर। भेड़ाघाट थानांतर्गत ग्राम तेवर निवासी गीता प्रसाद पटेल के घर उस वक्त अफरातफरी मच गई,जब रात्रि बारह बजे एक चमकदार काला नाग घर के रसोई कक्ष में प्रवेश कर गया। और उसकी रगड़ से एक प्लास्टिक का डब्बा गिर गया। जिसकी आवाज नागराज को नागवार गुजरी और गुस्से में नागराज ने जो फुफकारना शुरू किया तो उसी कक्ष में सो रहे गीता प्रसाद और उनके परिजनों की नींद हराम हो गई। किसी तरह रात गुजारने के बाद सुबह 7=15 बजे घर के सदस्य दीपक पटेल ने सर्प विशेषज्ञ गजेन्द्र दुबे को सूचना दी जिन्होंने मौके पर पहुंचकर रैस्क्यू करते हुए सांप को पकड़कर वन क्षेत्र बरगी में छोड़ दिया। दुबे के अनुसार पकड़ा गया सांप कोबरा प्रजाति का नाग है। और खेतों में सिंचाई का काम चल रहा है जिसकी ठंडक से व्याकुल हो कर सर्प गीता प्रसाद पटेल के घर में जाकर छिप गया था। गनीमत है कि छेड़छाड़ ना होने के कारण सर्प ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।

ट्रैफिक जाम किया, शराब पीकर भरा फर्राटा

217 पर पुलिस एक्ट, 229 पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हुई कार्यवाही

जबलपुर। ट्रैफिक जाम करने, शराब पीकर फर्राटा भरने वालों से लेकर यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। यातायात अवरूद्ध करने वाले 217 लोगों पर 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये अतिक्रमण हटाया गया। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वाले मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 229 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये 84 हजार 700 रूपये समन शुल्क वसूला गया। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 18 वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई।

विदित हो कि समय बदल बदल कर चैकिंग प्वाइंट लगाकर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एएसपी शहर आयुष गुप्ता, एएसपी अपराध जितेन्द्र सिंह, एएसपी ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा के मार्ग निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षकों के द्वारा अपने अपने अनुभाग के थाना प्रभारियों के द्वारा कार्यवाही करायी जा रही है।

3 वाहनों से निकाले मॉडीफाई सायलेंसर

मॉडीफाई सायलेंसर लगे 3 वाहनों को थाने लाकर मॉडीफाई सायलेंस निकलवाया गया।

शादी के बाद से मारने लगे ताने, एक लाख नहीं दिए तो घर से निकाला

जबलपुर। पाटन थाना अंतर्गत मालाखुर्द में शादी के बाद से नवविवाहितों को दहेज लोभी ताने मारने उसके साथ मारपीट करने लगे थे। एक लाख रूपए की मांग पूरी न होन पर उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रताड़ित करने वाले पति, सास, ससुर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक श्रीमति मनीषा इकनोरिया 20 वर्ष निवासी ग्राम मालाखुर्द ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी शादी 10 मई 25 को हिन्दू रीति रिवाज से ग्राम बुधगांव थाना ठेमी जिला नरसिंहपुर निवासी शुभम सिलावट से हुयी थी शादी में उसके पिता अपनी सामर्थता के अनुसार गृहस्थी का सामान दिया था शादी के 15-20 बाद उसका पति शुभम सिलावट, सास रामबाई सिलावट, ससुर डोमन सिलावट शादी में दहेज नहीं मिलने का कहकर ताना देने लगे एवं दहेज में एक लाख रूपये की मांग कर झगड़ा कर मारपीट करने लगे थे। इसके बाद उसे मायके भेज दिया। ससुराल वाले बिना दहेज लिये उसे रखने के लिये तैयार नहीं हैं।

संभागायुक्त ने की शासकीय योजनाओं की जिलेवार समीक्षा

नवभारत,जबलपुर। संभागायुक्त धनंजय सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संभाग के सभी कलेक्टरों से शासन की प्राथमिकता योजनाओं की समीक्षा की और प्रभावी कार्ययोजना बनाकर उनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, राजस्व न्यायालयों के लंबित प्रकरण, सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, लंबित विभागीय जांच, अनुकंपा नियुक्ति व पेंशन प्रकरणों की समीक्षा की। साथ ही मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), कृषि वर्ष 2026 की योजनाएँ जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना, कामधेनु योजना, क्षीरधारा ग्राम योजना, और मत्स्य पालन में आधुनिक तकनीक के उपयोग की समीक्षा भी की गई। नगरीय प्रशासन में एसबीएम 2.0 और अमृत 2.0 के लंबित भूमि आवंटन प्रकरणों की जांच की गई, जबकि उद्योग विभाग की डीएलसीसी बैठक में चिन्हित योजनाओं के लक्ष्यों की समयसीमा में पूर्ति के निर्देश दिए गए। संभागायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमित मॉनिटरिंग करते हुए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे।

घर में श्वान के घुसने पर उपजा विवाद

पत्नी ने पकड़ा, पति ने युवक को मारी कुल्हाडी

जबलपुर। चरगवां थाना अंतर्गत कोटवारी में एक घर में श्वान के घुसने पर उपजे विवाद पर पत्नी ने युवक को पकड़ा और पति ने कुल्हाडी से हमला कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कैलाश पटेल 58 वर्ष निवासी ग्राम कोटवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बेटा बबलू ने घर के पास रहने वाल धर्मेन्द्र यादव से कहा कि तुम्हारे पालतू कुत्ते मेरे घर में क्यों घुसने देते हो घर में गदंगी करते हैं इसी बात पर धर्मेन्द्र यादव एवं धर्मेन्द्र की पत्नी किरण दोनों उसके बेटे बबलू से विवाद करने लगे। किरण यादव ने बबलू का हाथ पकड़ लिया और धर्मेन्द्र यादव ने कुल्हाड़ी से हमलाकर बबलू के सिर में चोट पहुँचा दी। उसे जान से मारने की धमकी दी।

कार्यवाही | शहर के कई इलाकों से हटाए गए अवैध कब्जे

अवैध कब्जों पर भारी नगर निगम की जेसीबी

नवभारत,जबलपुर। जिला, पुलिस और निगम प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में पूरे शहर भर में अवैध कब्जों के खिलाफ चल रही कार्रवाई बुधवार को भी जारी रही। अतिक्रमण दस्ते द्वारा इन्द्रा मार्केट में रात के समय रिपीट कार्रवाई की गयी जिस दौरान कई अवैध कब्जों को हटाया गया और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया गया। कार्रवाई के संबंध में अतिक्रमण प्रभारी मनीष तड़से ने बताया कि अतिक्रमण अमले ने राइट टाउन क्षेत्र से यातायात में बाधक ठेले टपरे हटाए वहीं दुकानों के बाहर अस्थाई अतिक्रमण हटाए गए और चालानी कार्यवाही की गई। इसी प्रकार गोहलपुर लेमा गार्डन में ब्लॉक जी4/7 आवास योजना के अंतर्गत उक्त आवास को खाली किया गया। गढ़ा बाजार क्षेत्र में सड़क पर सभी अस्थाई अतिक्रमण को अलग किया गया, शुक्ला नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गयी।

इन इलाकों में भी हुई कार्रवाई

अतिक्रमण प्रभारी के अनुसार अतिक्रमण दस्ते ने नया मोहल्ला में नाली के ऊपर किए गए अतिक्रमण को भी अलग किया , बंदरिया तिराहा ओजस इंपीरियल के सामने अस्थाई अतिक्रमण को अलग किया गया, गोलबाजार एचडीएफसी के सामने ठेले टपरे को अलग किया गया, वासु होटल छोटी लाइन फाटक रोड क्षेत्र नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण को अलग किया गया। इसके अलावा मालवीय चौक, सिविक सेंटर ओर गोल बाजार इलाकों में लगातार मुनादी की जा रही है और चेतावनी दी जा रही है कि मुख्य मार्ग पर फल, सब्जी ,दुकानें तथा बैनर पोस्टर ठेले टपरे और अस्थाई अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी अखिलेश सिंह भदौरिया, एकता रघुवंशी, सहायक परिवहन एवं यातायात प्रबंधन अधिकारी दीपेंद्र सिंह रावत, दल प्रभारी एवं कर्मचारीगण लक्षण कोरी, नदीम खान, जोसफ प्रवीण, अंकित पारस, वीरेंद्र मिश्रा, कुलदीप त्रिपाठी, दुर्गा राव एवं अन्य संबंधित स्टाफ उपस्थित रहा। कानून व्यवस्था बनाए रखने पुलिस बल मौके पर उपस्थित रहा एवं सहयोग प्रदान किया गया।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में शुरू की जायेगी बत्तीसी योजना

दंत रोग से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को लगाया जाएगा कृत्रिम दांत का सेट

नवभारत, जबलपुर। राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पहुंचाने चलाये जा रहे संकल्प से समाधान अभियान के तहत कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की पहल पर जबलपुर जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के नि:शुल्क बत्तीसी (डेंचर) लगाने की अभिनव योजना प्रारंभ की जा रही है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा ने बताया कि नि:शुल्क बत्तीसी (डेंचर) योजना का संचालन दो चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में जिला अस्पताल में ऐसे व्यक्तियों का पंजीयन किया जायेगा, जो दंत रोग से पीड़ित हैं और जिन्हें कृत्रिम दांत का सेट (बत्तीसी) लगाये जाने की आवश्यकता है और दूसरे चरण में चयनित मरीजों को नि:शुल्क बत्तीसी (डेंचर) बनाकर प्रदान की जायेगी।

योजना का लाभ बीपीएल कार्डधारी परिवार के सदस्यों को मिलेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि यह योजना जरूरतमंद नागरिकों को बेहतर दंत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इससे उनके स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार होगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत जिला अस्पताल के दंत रोग विभाग में पात्र रोगियों के पंजीयन की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू की जायेगी।

पारंपरिक मार्ग से ही निकलेंगी शोभायात्राएं

महाशिवरात्रि पर्व को लेकर कलेक्टर- एसपी ने ली बैठक

नवभारत,जबलपुर। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर कलेक्टर जबलपुर राघवेंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में शिव बारात, शोभायात्रा, झंडा यात्रा एवं शिवालयों में आयोजित कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर एवं एसपी ने निर्देश दिए कि सभी आयोजन पारंपरिक रूप से एवं निर्धारित मार्गों से ही निकाले जाएं। शोभायात्राओं और शिवालयों में केवल धार्मिक गीत ही बजाए जाएं, ऐसे गीतों से परहेज किया जाए जिनसे किसी की भावनाएं आहत हों। जिन मंदिरों में अधिक भीड़ रहती है, वहां आयोजकों द्वारा वालेंटियर तैनात कर सुव्यवस्थित दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर नाथूराम गौंड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) आयुष गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सूर्यकांत शर्मा सहित संबंधित एसडीएम एवं नगर पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।